लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
105/2021 (GCMS 2021/464)	12.11.2021	01.12.2021

अनवान

अरविन्द गर्ग पिता सुरेश चंद्र गर्ग निवासी 18, गर्ग मोहल्ला, नगरी, गांव नगरी, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./105/2021(सू.अ.)(01.12.2021) से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.12.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 01.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान–बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। हस्तगत प्रकरण सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बस्सी से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण को सीधे ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बस्सी को

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्थानान्तरित कर दिया गया। इस पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बस्सी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/319 दिनांक 01.12.2021 से कर्मेन्ट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

नगरी के ग्राम पंचायत नगरी की जमाबंदी के खाता संख्या 739 के अनुसार बिरला सीमेण्ट वर्क्स चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.06.1984 से 18.06.2004 तक चारागाह जमीन लीज पर दी गई है। इस विषय में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रार्थी अरविन्द गर्ग द्वारा शिकायत क्रमांक 072107810449888 के संबंध में चाही गई सूचना पटवारी हल्का नगरी से बिन्दुवार जांच करवायी जाकर जांच रिपोर्ट प्रार्थी को पत्र क्रमांक 318 दिनांक 01.12.2021 से सूचना प्रेषित कर दी गई है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बस्सी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू. अ./2021/319 दिनांक 01.12.2021 से प्रेषित कर्मेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बस्सी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/318 दिनांक 01.12.2021 से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। अतः हस्तगत प्रकरण में अब इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

निष्कर्षतः अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौडगढ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official